न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 36/2015/अपील

बनवारी लाल पुत्र नानूराम, जाति– खटीक, निवासी– पृथ्वीपुरा, वाया– पलसाना, तहसील– दांतारामगढ़, जिला– सीकर (सज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी), सीकर।
2. पटवारी हल्का ग्राम जुराठड़ा, तहसील व जिला सीकर।
3. गिरदावर हल्का पलासरा, तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामावतार शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्टस् की ओर से।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.05.2015 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 30जनवरी, 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.05.2015 द्वारा ग्राम जुराठड़ा तहसील सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 652 कुल रकबा 0.84 है. में से रकबा 0.005 है. में से बेदखली की आज्ञा पारित की है तथा बतौर शास्ति लगान की 50 गुणा आयद की है। अपीलांट ग्राम जुराठड़ा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 628 रकबा 0.55 है. में मकानात पुख्ता बनाकर रह रहा है तथा काश्त कर रहा है। अपीलांट की पत्नी शारदा देवी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2013 को क्रय की थी तथा उसके नाम से खातेदारी चली आ रही है। अपीलांट पर खसरा नम्बर 652 वाके ग्राम जुराठड़ा के रकबा 0.005 है. गैर मुमकिन नला सिवायचक की भूमि पर जो अतिक्रमण राजस्व अधिकारियों ने बताया है वह सर्वथा गलत है। अपीलांट अपनी भूमि खसरा नम्बर 628 में ही अपने क्रयशुदा रकबा पर

काबिज है। खसरा नम्बर 628 से लगता खसरा नम्बर 652 है जिससे अपीलांट ने अपने खसरे में से 4 मीटर भूमि छोड़कर काबिज है। पूर्व दिशा में रास्ता पूरा छोड़कर अपीलांट काबिज है, किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त रास्ता की भूमि की जांच हल्का पटवारी अभयपुरा व गिरदावर हल्का पलसाना ने दिनांक 15.04.2015 का नाप जोख कर मौके पर तैयार की, जिन्होनें अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं पाया। खसरा नम्बर 652 जो नाला का खसरा नम्बर है इससे रास्ता बना हुआ है जो ग्राम पृथ्वीपुरा से ज्योस्या की ढ़ाणी तक जाता है। इस रास्ते की भूमि को पूर्वी साइड़ के पड़ोसियान द्वारा रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 652 पर अतिक्रमण कर रखा है। बिना नाप जोख किये ही अपीलांट को नोटिस दिया गया है। ग्राम जुराठड़ा तहसील सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 628 रकबा 0.55 है. की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार खुद काबिज शारदा देवी खटीक निवासी पृथ्वीपुरा तहसील दांतारामगढ़ धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस ही अपीलांट का अवैध रूप से जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस दिया जब अपीलांट दिनांक 15.05.2015 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दिया व शहादत व सबूत प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया, अपीलांट को आगामी तारीख पेशी नहीं दी गई। दिनांक 11.06.2015 को हल्का पटवारी ने अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखली की धमकी दी और कहा कि तहसीलदार सीकर ने बेदखली का आदेश परति किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधि. श्री रामावतार शर्मा उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलांट अपनी भूमि खसरा नम्बर 628 में ही अपने क्रयशुदा रकबा पर काबिज है। खसरा नम्बर 628 से लगता खसरा नम्बर 652 है जिससे अपीलांट ने अपने खसरे में से 4 मीटर भूमि छोड़कर काबिज है। पूर्व दिशा में रास्ता पूरा छोड़कर अपीलांट काबिज है, किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त रास्ता की भूमि की जांच हल्का पटवारी अभयपुरा व गिरदावर हल्का पलसाना ने दिनांक 15.04.2015 का नाप जोख कर मौके पर तैयार की, जिन्होनें अपीलांट का कोई

अतिक्रमण नहीं पाया। खसरा नम्बर 652 जो नाला का खसरा नम्बर है इससे रास्ता बना हुआ है जो ग्राम पृथ्वीपुरा से ज्योस्या की ढ़ाणी तक जाता है। इस रास्ते की भूमि को पूर्वी साइड़ के पड़ोसियान द्वारा रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 652 पर अतिक्रमण कर रखा है। बिना नाप जोख किये ही अपीलांट को नोटिस दिया गया है। जबकि भूमि प्रार्थी की पत्नी के नाम है। फिर भी प्रार्थी का कोई अतिक्रमण है तो सक्षम प्रधिकारी सीमा ज्ञान करवाये, वह तुरन्त अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.2015 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. राजकीय अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा **गैर मुमकिन नाला भूमि** पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रास्ते में पक्की दिवार का निर्माण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट से सुनवाई व सबूत/साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान कर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) रिपोर्ट पटवारी हल्का जुराठड़ा दिनांक 13.04.2015 के अनुसार अपीलांट ने ग्राम जुराठड़ा स्थित खसरा नम्बर 652 रकबा 0.84 है. **गैर मुमकिन नाला** की भूमि रकबा 0.05 है. रास्ते की भूमि पर पक्की दिवार का निर्माण कर रखा है, जिससे रास्ता सकड़ा हो गया तथा अंकित है कि ग्राम जुराठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 652 रकबा 0.84 है. गैर मुमकिन नाला मौके पर ग्राम पृथ्वीपुरा से जो जोशियों की ढ़ाणी रास्ते के काम आ रहा है। उक्त रास्ते के आंशिक भाग पर खसरा नम्बर 628 पूर्वी सीमा के पास अतिक्रमण कर रास्ता सकड़ा कर दिया गया है।

(2) खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 वर्ष 2015 ग्राम जुराठड़ा पटवार हल्का जुराठड़ा निरीक्षण क्षैत्र पलासरा तहसील व जिला सीकर में वर्णित खसरा नम्बर 652 में रकबा 0.005 गैर मुमकिन नाला भूमि पर पक्की दिवार का निर्माण कर रास्ते के रूप में काम में आ रही भूमि को सकड़ा कर दिया, अंकित है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की दिवार तोड़ने से पूर्व उसे उसकी भूमि का नाप–जोख कर सीमा ज्ञान नहीं करवाया गया, केवल रास्ते पर अतिक्रमण मानकर दिवार तोड़ दी गई है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि गैर मुमकिन नाला भूमि रास्ते के काम आ रही है एवं इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण विधि सम्मत नहीं है, किन्तु मौके पर बिना सीमा ज्ञान किये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के तहत उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि अपीलांट को उसकी भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर तत्पश्चात यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो तदानुसार अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक : **30 जनवरी, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official